भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2787
दिनांक 18.03.2020/ 28 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

न्यायिक मौतों के संबंध में पुलिस कर्मियों की दोषसिद्धि की दर

2787. श्री संजय सिंहः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा हाल ही में जारी 'भारत में अपराध' रिपोर्ट, 2018 के अनुसार न्यायिक मौत के 5479 दर्ज मामलों में से केवल 41 पुलिस कर्मियों को सिद्ध दोष पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इतनी कम दोषसिद्धि दर के क्या कारण हैं; और

(ग) अपनी ड्यूटी में लापरवाह पुलिस कर्मियों के दोषसिद्ध होने की दर में सुधार करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क): जी, हां।

(ख) और (ग): संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। प्रत्येक अपराध के संबंध में कार्रवाई करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है।

केन्द्र सरकार इन मामलों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करती है, परंतु समय-समय पर एडवाइजरी अवश्य जारी करती है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) दिशा-निर्देश और सिफारिशें जारी करता है। एनएचआरसी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, देश में पुलिस हिरासत में होने वाली प्रत्येक मौत की सूचना संबंधित राज्य की पुलिस द्वारा चौबीस घंटों के भीतर आयोग को दी जाती है। जांच/पूछताछ के बाद, एनएचआरसी आर्थिक राहत या दोषी सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई/अभियोजन अथवा दोनों की सिफारिश करता है।

दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई मौजूदा नियमों, प्रक्रियाओं आदि के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जानी होती है।

पुलिस सुधार एक सतत प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त, एनएचआरसी ने वर्ष 2011 में पुलिस सुधार के लिए मानवाधिकार के संबंध में एक मैनुअल प्रकाशित किया है। एनएचआरसी समय-समय पर कार्यशालाओं, सेमिनारों और शिविरों के माध्यम से अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए भी प्रयास करता है।

*****